(10)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2014/कार्तिक 27, 1936

No. 604] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2014/KARTIKA 27, 1936

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 817(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परमाणु ऊर्जा विभाग (निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची के स्तंभ 11 के अधीन टिप्पण 2 की प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण 3 :

इस चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्वलित होगा:

परंतु उन व्यक्तियों की जिन्हें विहित बेंचमार्क के निबंधनानुसार उपयुक्त रूप में श्रेणीकृत किया गया है, प्रोन्नति में कोई अधिक्रमण नहीं होगा ।"

[फा. सं. 20/1(6)/2013-सीसीएस/14164]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 21 दिसंबर, 2012 में सा.का.नि. 6(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2014

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Atomic Energy (Director, ATI) Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Director, ATI) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Atomic Energy (Director, ATI) Recruitment Rules, 2012, in the Schedule, in the entries under column (11), after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note 3:

The selection shall involve interview of the candidates:

Provided that there shall be no supersession in promotion among those who are graded as fit in terms of the prescribed benchmark."

[F. No. 20/1(6)/2013-CCS/14164]

SWATI PANDEY, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 6(E), dated the 21st December, 2012.

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवंबर, 2014

सा. का. नि. 818(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में सहायक निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (सहायक निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो उक्त नियमों के साथ अनुलग्नित अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक	3* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु. सहित ग्रेड वेतन 4800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/ चयन समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** विभाग के प्रशासनिक या लेखा काडर के ऐसे अधिकारियों में से जो नियमित आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. सहित ग्रेड वेतन 4800 रु.) अथवा सहायक लेखा अधिकारी (वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. सहित ग्रेड वेतन 4800 रु.) अथवा अनुभाग अधिकारी (वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. सहित ग्रेड वेतन 4800 रु.) का पद धारण कर रहे हों। **शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव :** **आवश्यक :** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (ii) स्थापना, प्रशासन एवं वित्तीय नियम और केंद्रीय सरकार के विनियमों का ज्ञान; (iii) कंप्यूटर के अनुप्रयोगों का ज्ञान; एवं (iv) उत्कृष्ट संवाद कौशल । **वांछनीय :** (i) शिक्षण अनुभव अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

			संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करने के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले, या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्वपुनरीक्षित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा. सं. 20/1(3)2012-सीसीएस/14163]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2014

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director, Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Assistant Director, Administrative Training Institute) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director	03* (2014) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B' Gazetted	Pay Band - 2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation	**Deputation:** From amongst the officers of Administrative and Accounts Cadres of the Department holding the post of Assistant Personnel Officer (in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800) or Assistant Accounts Officer (in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800) or Section Officer (in the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800) on regular basis. **Educational qualifications and experience:** **Essential:** (i) Degree from a recognised University or equivalent; (ii) Knowledge of Establishment, Administrative and Financial rules and regulations of the Central Government;	Not applicable	Not applicable

4551 GI/14-2

			(iii) Knowledge of computer applications; and (iv) Excellent communication skills. **Desirable:** (i) teaching experience or organising training programmes. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement without any upgradation.		

[F. No.20/1(3)/2012-CCS/14163]

SWATI PANDEY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.